बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संख्या – वि० प्रा० (I) नियुक्ति–10/2018/ 3487 /पटना, दिनांक– 24-12-018

अधिसूचना

बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक– 103 दिनांक– 18.07.2018 द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को व्याख्याता (विद्युत) के पद पर वेतनमान रू० 15600–39100 + ए.जी.पी. 5400 एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य भत्ता के साथ बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में रिक्त पदो के विरूद्व निम्नांकित अभ्यर्थियों को प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–7 में अंकित पद एवं संस्थान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :–

क्र० सं०	नाम, पिता/पति का नाम एवं पत्राचार पता	आरक्षण कोटि	मेधा क्रमांक	गृह जिला	फोटो	पदस्थापित रा०पो०/रा०म०पो० संस्थान का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री शिव प्रकाश सिंह, S/o- स्व० महेन्द्र सिंह, C/o- दीपक सिंह, क्वार्टर नं0– 48/बी., सरकारी कॉलोनी, पो0– आई.ई. गोमिया, जिला– बोकारो (झारखण्ड)– 829112	सामान्य	1	भोजपुर		व्याख्याता (विद्युत) बद्रीउज्जमा खॉ इन्स्टीच्यूट ऑफ पोलिटेकनिक, पुपरी, सीतामढ़ी
2.	श्री प्रशांत कुमार, S/o- श्री उपेन्द्र राय, ग्रा०+पो०– चपता, थाना– उजियारपुर, भाया– दलसिंहसराय, जिला– समस्तीपुर– 848114	सामान्य	16	समस्तीपुर	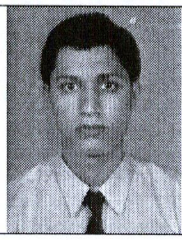	व्याख्याता (विद्युत) राजकीय पोलिटेकनिक, मधुबनी

2. इन्हें मासिक वेतनादि एवं अन्य वित्तीय लाभ व्याख्याता (विद्युत) के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

3. इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मेधा क्रमांनुसार होगी।

4. नव नियुक्त व्याख्याता (विद्युत) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर नव पदस्थापित संस्थान में निश्चित रूप से अपना प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

5. अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों एवं आवेदन में अंकित किये गये सूचना गलत पाये जाने पर बिना कारण पृच्छा के इनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा उम्मीदवार का कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

6. इनकी यह नियुक्ति सम्पुष्ट होने तक अस्थायी होगी।

7. ऐसे नव नियुक्त व्याख्याता (विद्युत) जो वर्त्तमान में किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें योगदान पत्र के साथ संबंधित विभाग/संस्थान का विरमित आदेश/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. पूर्व से सरकारी सेवा/लोक उपक्रम में नियुक्त अभ्यर्थी अपने नियोक्ता से विरमित होने के पश्चात ही नव पद पर अपना प्रभार प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। इनका प्रभार प्रतिवेदन विरमित आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही नियंत्री पदाधिकारी इनके प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।

9. नव नियुक्त अभ्यर्थी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज नहीं लेने–देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

10. बिहार सेवा संहिता के नियम 52 के अन्तर्गत अभ्यर्थी जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी –सह– असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त अपनी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र नियंत्री पदाधिकारी को योगदान के समय निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।

11. निर्धारित तिथि तक योगदान देने अथवा निर्धारित तिथि तक अवधि विस्तार का आवेदन न देने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जाएगी। इसके लिए भविष्य में इनका कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

24.12.18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) नियुक्ति–10/2018/ /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – श्री /सुश्री/श्रीमती– ...., पिता/पति का नाम– ....
....ग्राम/मो0–...
.... जिला– .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

फोटो

24.12.18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) नियुक्ति–10/2018/ 3487 **/पटना, दिनांक–** 24-12-2018

प्रतिलिपि – प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। (विभागीय आई०टी० मैनेजर के माध्यम से)

24.12.18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) नियुक्ति–10/2018/ 3487 **/पटना, दिनांक–** 24-12-2018

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.12.18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) नियुक्ति–10/2018/ 3487 **/पटना, दिनांक–** 24-12-2018

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्राचार्य, सभी राजकीय राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ श्री शिव प्रकाश सिंह, S/o- स्व० महेन्द्र सिंह, C/o- दीपक सिंह, क्वार्टर नं0– 48/बी. सरकारी कॉलोनी, पो0– आई.ई. गोमिया, जिला– बोकारो (झारखण्ड)– 829112/ श्री प्रशांत कुमार, S/o- श्री उपेन्द्र राय, ग्रा०+पो०– चपता, थाना– उजियारपुर, भाया– दलसिंहसराय, जिला– समस्तीपुर– 848114/सभी पदाधिकारियों एवं आई० टी० मैनेजर, (विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित प्राचार्यो को निदेशित किया जाता है कि नव नियुक्त व्याख्याता का शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों की जाँच संबंधित संस्थानों/कार्यालयों से कराकर उसका प्रतिवेदन विभाग को तीन माह के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

24.12.18

सरकार के उप सचिव

सेक्सन–2/पप्पु/21.12.18